न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

125

प्र.क्रं. /12-13 निगरानी दीवानसिंह पुत्र श्री बहादुरसिंह
जाति दांगी निवासी अंडियाकला
तह. गुलाबगंज जिला विदिशा-आवेदक

R-694-PBR/13
श्री अशोक श्रीवास्तव
अभिभाषक द्वारा
आज दिनांक-11-2-13
को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
11-2-13

बनाम

1-धीरजसिंह, 2-खिलानसिंह, 3-सरदारसिंह,
4-लक्ष्मणसिंह, 5-रूपसिंह पुत्रगण बहादुरसिंह दांगी
निवासी अंडियाकला तह. गुलाबगंज जिला
विदिशा ------अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 7-2-13 न्यायालय उपखंड अधिकारी ग्यारसपुर कैम्प गुलाबगंज प्र.क्रं. 37/07-08 धीरजसिंह आदि विरूद्ध लक्ष्मणसिंह आदि अंतर्गत धारा 50 भू.रा.संहिता के अंतर्गत ।

18-2-13

माननीय महोदय,

निवेदन है कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं ।

1. यह कि ग्राम अंडियाकला में आवेदक एवं अनावेदकगण के पिता के नाम पर खसरा नंबर 583, 502, 376, 300, 304, 306, 314, 315, 318, 325, कुल रकबा 8.651 हेक्टे. भूमि शासकीय रिकार्ड मे दर्ज है उनकी मृत्यु के बाद उनकी उक्त भूमि पर फौती नामांतरण हुआ जिसकी पंजी क्रं. 7 आदेश दिनांक 14-5-96 है जिसमे सभी पक्षकारो के नाम पर उनके पिता के स्थान पर आपसी सहमति से फौती नामांतरण किया गया । नामांतरण के समय आवेदक एवं अनावेदकगण उपस्थित थे उनकी सहमति से फौती नामांतरण तस्दीक किया गया उस वक्त किसी भी पक्ष ने कोई वसीयत पेश नही की न हवाला दिया इससे साबित होता है कि फौती नामांतरण होते वक्त तक कोई वसीयत नही हुई थी ।

2. यह कि अनावेदकगण ने फौती नामांतरण होने के बाद अनावेदकगण ने 2006-07 तक तहसील न्यायालय में अथवा अन्य कही वसीयत पेश नही की एवं उक्त प्रकरण गतिशील रहते हुये भी तहसील न्यायालय ने मूल वसीयत पेश नही की जबकि माननीय तहसीलदार महोदय ने अनावेदकगण को अपने न्यायाल में लगभग 13 अवसर वसीयत पेश करने हेतु दिये किंतु अनावेदकगण ने उनके न्यायालय मे वसीयत पेश नही की इसके बाद माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने 15-11-12 को अंतिम आदेश पारित करने के दिन अंतिम आदेश पारित करके अनावेदकगण को लाभ पहुंचाने अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदकगण को

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 694–पीबीआर/13 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.8.18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, ग्यारसपुर कैंम्प गुलाबगंज के प्रकरण कमांक 37/07–08 में पारित आदेश दिनांक 7–2–2013 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक के तर्कों को मान्य करते हुए साक्षीगण को बुलाने हेतु तलवाना पेश करने की अनुमति दी है । 2/ दोनों पक्षों द्वारा प्रकरण में लिखित बहस पेश करने हेतु समय चाहा गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । 3/ अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अनावेदकों द्वारा तहसीलदार के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई । अपील के दौरान अनावेदकों द्वारा यह आवेदन पेश किये जाने पर कि वसीयत के साक्षीगण फोत हो चुके हैं, इसलिए वे स्वयं एवं एक अन्य साक्षी का कथन कराना चाहते हैं जिसे वे न्यायालय के माध्यम से बुलाना चाहते हैं । इस पर से अनुविभागीय अधिकारी ने यह साक्ष्य का अवसर देना न्यायोचित मानते हुए अनावेदकों के तर्क को मान्य कर साक्षी को बुलाने हेतु तलवाना जमा करने की अनुमति दी है तथा प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया है । उनके इस आदेश में प्रथमदृष्टया कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है । प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां	

R. 694- PBR/13 (विदिशा)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदकों को अपना पक्ष रखने तथा साक्षी के प्रतिपरीक्षण का समुचित अवसर उपलब्ध है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।	
	परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्षों को सूचना दी जाये तथा अभिलेख वापिस किया जाये ।	
	सदस्य	